दिनांक 20.05.2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

स्वाट टीम/थाना को0शहर पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में डबल मर्डर के 50–50 हजार के 02 तथा 25 हजार का 01 (कुल 03 अभि0गण) पुरस्कार घोषित अभि0गण घटना में प्रयुक्त कार, बन्दूक तथा तमन्चा मय कारतूस सहित गिरफ्तार।

दिनॉक 09.05.2021 को महाराज सिंह पुत्र नत्थे सिंह निवासी ग्राम धौकलपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर द्वारा थाना को0शहर पर तहरीर दी कि वह अपने पुत्र धीर सिंह व पौत्र अंकुर पुत्र जगवीर सिंह तथा दोनों पुत्रबधू रीता, बबीता जंगल से घर आ रहे थे तभी संजीव निवासी सुन्दरपुर के खेत के पास सफेद रंग की आल्टो कार जिसको देवेन्द्र निवासी कम्भोर चला रहा था जिसमें कृष्णा पुत्र अमन हमारे ही गॉव का, ललित व अमित पुत्रगण हेमेन्द्र निवासी रावणपुर तथा 02 अज्ञात व्यक्ति उतरे और **पुरानी रंजिश के चलते तमन्चो व बन्दूक से धीरसिंह व अंकुर पर ताबडतोड फायरिंग कर दी जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी।** इस घटना में अनुज व नितिन शामिल है। तहरीर के आधार पर थाना को0शहर बिजनौर पर **मु0अ0सं0 276/21 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि0** बनाम 1–**देवेन्द्र, 2–कृष्णा, 3–ललित, 4–अमित, 5–अनुज, 6–नितिन** उपरोक्त व 02 व्यक्ति नाम पता **अज्ञात** पंजीकृत किया गया।

घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा स्वाट व सर्विलांस/को0शहर पुलिस को घटना में संलिप्त अभि0गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेत निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में 1– विवेक पुत्र नीरज निवासी ग्राम किठौली थाना जॉनी जनपद मेरठ, 2–आकाश राठी उर्फ राजीव उर्फ टिंकल पुत्र बिजेन्द्र उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम धीराहेड़ी थाना भोपा जनपद मु0नगर, 3–लवली पत्नी अनुज निवासी फरीदपुर संसारू उर्फ धौकलपुर थाना को0शहर बिजनौर, 4–सुमित पुत्र स्व0 राकेश निवासी ग्राम राना नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये। अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। **अभि0गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद महोदय द्वारा अभि0गण कृष्णा, सुमित तथा अनुज की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 50 हजार रूपये की गयी है।**

आज दिनॉक 20.05.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में स्वाट टीम व थाना को0शहर पुलिस द्वारा अभि0गण 1–आकाश राठी उर्फ राजीव, 2–सुमित, 3–कृष्णा उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो अभि0गण द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिये पुलिस पार्टी द्वारा सूझ–बूझ से घेराबन्दी कर अभि0गण उपरोक्त को नगीना रोड रेलवे फाटक से घटना मे प्रयुक्त मारूति आल्टो कार, 02 बन्दूक 12 बोर व 01 तमन्चा 12 बोर मय 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पताः–

1–आकाश राठी उर्फ राजीव उर्फ टिंकल पुत्र बिजेन्द्र उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम धीराहेड़ी थाना भोपा जनपद मु0नगर।

2–सुमित पुत्र स्व0 राकेश निवासी ग्राम राना नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3–कृष्णा पुत्र अमन निवासी ग्राम धौकलपुर थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

प्रकाश में आये अभि0गण का नाम व पताः–

1– विवेक पुत्र नीरज निवासी ग्राम किठौली थाना जॉनी जनपद मेरठ।

2– आकाश राठी उर्फ राजीव उर्फ टिंकल पुत्र बिजेन्द्र उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम धीराहेड़ी थाना भोपा जनपद मु0नगर।

3– लवली पत्नी अनुज निवासी फरीदपुर संसारू उर्फ धोकलपुर थाना को0शहर बिजनौर।
4– सुमित पुत्र स्व0 राकेश निवासी ग्राम राना नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

अभि0गण कृष्णा द्वारा पूछताछ में बताया कि मेंरे सगे भाई अनुज का मृतक धीर सिंह की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसमे अनुज मृतक धीर सिंह की लड़की को लेकर चला गया था। मृतक धीर सिंह व उसके परिवार ने लड़की ले जाने के सम्बन्ध में अनुज की शिकायत हमारे परिवार से की तो मेरें पिता अमन सिंह ने काफी प्रयास कर लड़की को वापस करा दिया था। लड़की को वापस करने के बाद अनुज ने धीरसिंह के परिवार से लड़की को ले जाने के सम्बन्ध में अनावश्यक टिप्पणी कर दी थी जिससे धीर सिंह व जगवीर सिंह पुत्रगण महाराज सिंह व अंकुर पुत्र जगवीर सिंह द्वारा आवेश में आकर गोली मारकर उसके पिता अमन सिंह की हत्या की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना को0शहर पर दिनॉक 15.08.2015 को मु0अ0सं0 696/15 धारा 302/307/120बी भादवि0 व धारा 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा धीर सिंह, जगवीर सिंह तथा अंकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभि0 जगवीर सिंह के विरूद्व एन0एस0ए की कार्यवाही की गयी थी जो अभी तक जिला कारागार बिजनौर में निरूद्व है।

मेंरे पिता की जघन्य हत्या किये जाने से मैं तथा मेरा भाई अनुज व नितिन फौजी काफी आहत थे। नितिन जो एस0एस0बी पटना में नियुक्त है। हम तीनों भाई अपने पिता की हत्या व अपमान का बदला लेने की योजना बना रहे थे। इसी क्रम में मेरा बड़ा भाई नितिन फौजी उपरोक्त ने हमारे से साथ मिलकर हत्या करने योजना बनाई थी योजनाअनुरूप ही वह दिनॉक 06.05.2021 को यह कहकर कि वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया कि मैं जा रहा हूँ तुम लोग योजनाबद्व तरीके से अपना काम कर देना। मेंरे भाई अनुज की शादी राना नंगला थाना स्योहारा में लवली पुत्री राकेश से हुई है। लवली के पिता राकेश व चाचा मुकेश की हत्या करीब 03 वर्ष पूर्व आदित्य गैंग द्वारा कर दी गयी थी। लवली अपने पिता व चाचा तथा ससुर (अमन सिंह) की हत्या का बदला लेने के लिये अपने भाई सुमित तथा अपने पति अनुज व मुझसे भी कहती थी। मेरें भाई नितिन फौजी व लवली की योजना के अनुसार मेरे भाई अनुज ने अपने 02 घनिष्ठ साथी विवेक एवं आकाश उपरोक्त को दिनॉक 07.05.2021 अपने महादेवपुरम नगर बिजनौर स्थित किराये के मकान में बुला लिया तथा मैने, सुमित व अनुज तथा लवली ने उनके साथ बैठकर पूरा घटनाचक्र रचा तथा योजनाअनुसार एक पुरानी आल्टो गाड़ी हम लोगों ने इसी कार्य के लिये खरीदी थी। इसी आल्टो गाड़ी से ही दिनॉक 07 व 08.05.2021 को ग्राम धौकलपुर में रैकी की तथा दिनॉक 09.05.2021 की सुबह 08:30 बजे अंकुर व धीर सिंह की खेत से लौटते समय गोली मारकर हत्या करके अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था। घटना के उपरान्त हम सभी लोग उपरोक्त आल्टो गाड़ी से भाग गये थे।

<u>बरामदगीः–</u>

1–एक अदद डीबीबीएल लाईसेंसी बन्दूक 12 बोर, (लाईसेंस धारक बन्तोष अभि0 सुमित की माता)
2–एक अदद एक नाली देशी बन्दूक 12 बोर,
3–एक अदद तमंचा 12 बोर ,
4–03 अदद कारतूस जिन्दा व 03 अदद कारतूस खोखा 12 बोर
5–घटना मे प्रयुक्त एक अदद कार आल्टो नम्बर UP14AC 8190 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307 भादवि0 व 3/25 शस्त्र अधिनिय तथा सम्बन्धित मु0अ0स0–276/2021 धारा 147/148/149/302/120वी/34 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर।

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 कृष्णा उपरोक्त</u>

1–मु0अ0स0–276/2021 धारा 147/148/149/302/120वी/34 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
2–मु0अ0सं0 293/21 धारा 147/148/149/307 भादवि0 थाना को0शहर बिजनौर।
3–मु0अ0सं0 294/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना को0शहर बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभि0 सुमित उपरोक्त

1–मु0अ0सं0 266/14 धारा 307 भादवि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2–मु0अ0स0–276/2021 धारा 147/148/149/302/120वी/34 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर।

3–मु0अ0सं0 293/21 धारा 147/148/149/307 भादवि0 थाना को0शहर बिजनौर।

4–मु0अ0सं0 295/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना को0शहर बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभि0 आकाश राठी उपरोक्त

1–मु0अ0स0–276/2021 धारा 147/148/149/302/120वी/34 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर।

2–मु0अ0सं0 293/21 धारा 147/148/149/307 भादवि0 थाना को0शहर बिजनौर।

3–मु0अ0सं0 296/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना को0शहर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

स्वाट टीमः– 1–श्री राजकुमार शर्मा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस, 2–उ0नि0 श्री मनोज परमार, 3–उ0नि0 श्री संजय कुमार, 4– हे0कां0 राजकुमार नागर, 5– कां0 खालिद, 6–कां0 रईस अहमद, 7– का0 बेताब जावला , 8–का0 दीपक कुमार, 9–कां0 रंजीत मलिक, 10– कां0 मोहित शर्मा, 11–कां0 विकास बैसला 12– कां0 मोनू कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर ।

कोतवाली शहर टीमः– 1–श्री राधेश्याम प्रभारी निरीक्षक, 2–उ0नि0 जर्रार हुसैन, 3–उ0नि0 दीपक कुमार, 4–का0 69 अरविन्द, 5–का 1261 दिलराज, 6–का0 510 दिनेश, 7–कां0 चालक राजीव थाना कोतवाली शहर बिजनौर

थाना किरतपुर– आज दिनांक 20.05.2021 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित उर्फ आशु पुत्र हरवंश निवासी ग्राम नंगला इस्लाम थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर को एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 131/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।